न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपूतली जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी/जगदीश आर्य
आर.ए.एस

याचिका संख्या :– 06/2021

मैसर्स अल्ट्राटेक सीमेन्ट लि० (पूर्व नाम ग्रासीम इण्डस्ट्रीज लिमिटेड) स्थानीय ईकाई मोहनपुरा, तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर राजस्थान रजिस्टर्ड कार्यालय बीविंग द्वितीय मंजिल अहूरा सेन्टर महाकाली कैव्ज रोड, अंधेरी ईस्ट मुम्बई जरिये अधिकृत प्रतिनिधी सौरभ शाह पुत्र श्री देवेन्द्र शाह, जाति जैन, हाल निवासी अल्ट्राटेक सीमेन्ट आवासीय परिसर ग्राम मोहनपुरा, तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर (राज०)

—————याचि

बनाम

राजस्थान सरकार जयपुर तहसीलदार कोटपूतली, जिला जयपुर राजस्थान

————— अयाचि

याचिका अन्तर्गत धारा 89 (4) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

उपस्थित :– अभिभाषक प्रार्थी कम्पनी श्री प्रदीप बंसल एडवोकेट

निर्णय दिनांक

1- उपरोक्त उनवानी संस्थित प्रकरण का संक्षेप में वृतान्त इस प्रकार है कि प्रार्थी कम्पनी मैसर्स अल्ट्राटेक सीमेन्ट लि० (पूर्व नाम ग्रासीम इण्डस्ट्रीज लिमिटेड) स्थानीय ईकाई मोहनपुरा, तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर राजस्थान रजिस्टर्ड कार्यालय बीविंग द्वितीय मंजिल अहूरा सेन्टर महाकाली कैव्ज रोड, अंधेरी ईस्ट मुम्बई जरिये अधिकृत प्रतिनिधी सौरभ शाह पुत्र श्री देवेन्द्र शाह, जाति जैन, हाल निवासी अल्ट्राटेक सीमेन्ट आवासीय परिसर ग्राम मोहनपुरा, तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर (राज०) ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 89 (4) लैण्ड रेवन्यू एक्ट के तहत पेश किया की प्रार्थी कम्पनी ग्राम मोहनपुरा, तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर में सीमेन्ट उत्पादन हेतु यंत्र एवं संयत्र स्थापित कर रखे है जहां सीमेन्ट उत्पादन चालु है। जिसके लिए कच्चे माल के रूप में खनिज लाईम स्टोन प्रयोग में लाया जाता है तथा जिसके लिए राजस्थान सरकार ने प्रार्थी कम्पनी को लाईम स्टोन उत्खनन हेतु पट्टा जारी किया हुआ है।

2- यह कि याचि कम्पनी कम्पनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत पंजिकृत कम्पनी है तथा कम्पनी के विभिन्न उद्देश्य है, जिसमें सीमेन्ट का उत्पादन एंव विपणन मुख्य उद्देश्य है।

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)

3- यह कि याचि कम्पनी का ग्राम मोहनपुरा, तहसील कोटपूतली जिला जयपुर में सीमेन्ट उधोग स्थापित है, जिसमें याचि कम्पनी ने सीमेन्ट उत्पादन हेतु यंत्र एवं संयत्र स्थापित कर रखे है जहां सीमेन्ट का उत्पादन चालु है। याचि कम्पनी की उक्त परियोजना राष्ट्रीय महत्व की परियोजना है जिसमें हजारो लोगो को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिला हुआ।

4- यह कि सीमेन्ट उत्पादन हेतु खनिज लाईम स्टोन कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है जिसके लिए ग्राम मोहनपुरा–जोधपुरा, कुजोता, अजीतपुरा कलां, महरमपुर राजपूत, महरमपुर नवाब आदि गांव की 548.78 हैक्टेयर भूमि बाबत खनिज लाईम स्टोन उत्खनन वास्ते राज्य सरकार ने याचि कम्पनी के पक्ष में खनन पट्टा जारी किया हुआ है, जिस पर याचि कम्पनी बहैसियत लैसी काबिज है।

5- यह कि राज्य सरकार द्वारा याचि कम्पनी के पक्ष में जारी खनन पट्टे में अन्य भूमियों के साथ–साथ आराजी खसरा नम्बर 291/0.66 हैक्टेयर बदोबस्त हाल वाके ग्राम महरमपुर राजपूत तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर भी शांमिल है जो राज्य सरकार की भूमि है। उक्त भूमि याचि कम्पनी के खनन क्षेत्र का हिस्सा है तथा याचि कम्पनी बहैसियत लैसी कम्पनी है। याचि कम्पनी को सीमेन्ट प्लान्ट की खनिज आपूर्ति के लिए खनन कार्य करने हेतु उक्त भूमि की आवश्यकता है।

6- यह कि याचि कम्पनी को आराजी खसरा नम्बर 291 रकबा 0.66 हैक्टेयर बदोबस्त हाल महरमपुर राजपूत, तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर जो याचि कम्पनी के खनिज क्षेत्र का हिस्सा है कि उत्खनन करने वास्ते आवश्यकता है। इस हेतु याचि कम्पनी ने तहसीलदार कोटपूतली को कई दफा जुबानी निवेदन किया कि यदि किसी के अधिकार प्रभावित हो रहे है तो कम्पनी मुआवजा अदा करने को तैयार है किन्तु तहसीलदार कोटपूतली द्वारा इस बाबत आज तक कोई जबाब नहीं दिया जो उनकी साफ इनकारी है। इस कारण यह याचिका माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ।

7- यह कि विवादित भूमि एवं याचि कम्पनी माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है। अतः माननीय न्यायालय को याचिका सुनने एवं तय करने का अधिकार है।

8- यह कि याचिका उचित कोर्ट फीस पर प्रस्तुत है। अतः याचिका मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि बाद जांच यदि किसी के अधिकार प्रभावित हो तो आराजी खसरा नम्बर 291 रकबा 0.66 हैक्टेयर बदोबस्त हाल वाके ग्राम महरमपुर

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)

है। मुआवजा निर्धारण हेतु प्रार्थी कम्पनी भूमि के बदले भूमि देने को तैयार है। ऐसी स्थिति में जमीन के बदले जमीन मुआवजा दिलाने के आदेश फरमाने तथा प्रार्थी कम्पनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 89 (4) स्वीकार फरमाया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड साक्ष्य एवं दस्तावेजात का अवलोकन किया गया तथा वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया तो पाया कि प्रार्थी कम्पनी रजिस्टर्ड कम्पनी है जिसमें सीमेन्ट का उत्पादन एवं विपणन मुख्य उद्देश्य है। याचि कम्पनी का ग्राम मोहनपुरा में सीमेन्ट उधोग स्थापित है। सीमेन्ट का उत्पादन चालु है। राज्य सरकार द्वारा 548.78 हैक्टेयर भूमि पर याचि कम्पनी के पक्ष में खनन पट्टा जारी किया हुआ है। जिस पर याचि कम्पनी लैसी काबिज है। कम्पनी के पक्ष में जारी खनन पट्टा में अन्य भूमियों के साथ साथ खसरा नम्बर 291 रकबा 0.66 हैक्टेयर ग्राम महरमपुर राजपूत, जिला जयपुर राजस्थान भी शामिल है जो राज्य सरकार की भूमि है, जो कम्पनी के खनन क्षेत्र का हिस्सा है, जिस पर कम्पनी बहैसियत लैसी काबिज है। याचि को सीमेन्ट प्लान्ट की खनिज आपूर्ति के लिए खनन कार्य हेतु उक्त भूमि की आवश्यकता है। प्रार्थी कम्पनी उक्त भूमि का मुआवजा देने को तैयार है। प्रार्थी कम्पनी जमीन के बदले जमीन देने को तैयार है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट अनुसार भी उक्त आराजी खसरा नम्बर 291 रकबा 0.66 हैक्टेयर ग्राम महरमपुर राजपूत सिवायचक भूमि किस्म गै0मु0 घुर्सिया दर्ज रिकार्ड है। उक्त भूमि में किसी प्रकार का कच्चा पक्का निर्माण नहीं है। भूमि उबड खाबड खाली पडी होना बताया है, यदि प्रार्थी कम्पनी द्वारा जमीन के बदले जमीन उपलब्ध करायी जावे तो उस भूमि पर मूलभूत सुविधाऐं उपलब्ध करायेगी तथा इस भूमि के एवज में दी जाने वाली भूमि राज्य सरकार सिवायचक भूमि किस्म गै0मु0 घुर्सिया दर्ज कराने में कम्पनी सहमति प्रदान करेगी, ऐसी स्थिति में ही भूमि के बदले भूमि देने के आदेश दिया जाना उचित एवं न्याय संगत होगा।

चूंकि राजस्व रिकार्ड में आराजी खसरा नम्बर 291 रकबा 0.66 हैक्टेयर ग्राम महरमपुर राजपूत, सिवायचक भूमि किस्म गै0मु0 घुर्सिया दर्ज रिकार्ड है। कम्पनी के पक्ष में जारी पट्टे में अन्य भूमियों के साथ उक्त आराजी खसरा नम्बर शामिल है, जो कम्पनी के खनन क्षेत्र का हिस्सा है। याचि का सीमेन्ट प्लान्ट की खनिज आपूर्ति के लिए खनन कार्य हेतु भूमि की आवश्यकता है। प्रार्थी कम्पनी उक्त भूमि का मुआवजा जमीन के बदले जमीन देने को तैयार है ऐसी स्थिति में प्रार्थी कम्पनी

अति. जिला कलक्टर
कोटपुतली (जयपुर)

राजपूत तहसील कोटपूतली जिला जयपुर राजस्थान का मुआवजा तय करने की कृपा करें।

9- प्रार्थी कम्पनी की ओर से जरिये वकील प्रार्थना पत्र पेश होने पर रिपोर्ट सरिस्ता कराई गई रिपोर्ट समायत पायी जाने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया अप्रार्थी की तलबी हेतु नियमानुसार तलबी नोटिस जारी किये गये। बाद तामिल प्राप्त होने पर संलग्न पत्रावली किया गया।

10- प्रार्थी कम्पनी की ओर से जरिये वकील एक प्रार्थना पत्र जमीन के बदले जमीन देने का पेश किया जो संलग्न पत्रावली किया गया।

11- वकील कम्पनी प्रार्थी की बहस सुनी गयी वकील कम्पनी प्रार्थी ने बहस में अभिकथन किया गया प्रार्थी कम्पनी मैसर्स अल्ट्राटेक सीमेन्ट लि० (पूर्व नाम ग्रासीम इण्डस्ट्रीज लिमिटेड) स्थानीय ईकाई मोहनपुरा, तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर राजस्थान में स्थापित है जो पंजीकृत है। प्रार्थी कम्पनी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 89 (4) लैण्ड रेवन्यू एक्ट के तहत पेश किया है। प्रार्थी कम्पनी मोहनपुरा तहसील कोटपूतली में सीमेन्ट उत्पादन हेतु यंत्र एवं संयत्र स्थापित कर रखे है, जहां सीमेन्ट का उत्पादन चालु है जिसके लिए कच्चे माल के रूप में खनिज लाइम स्टोन प्रयोग मे लाया जाता है जिसके लिए राजस्थान सरकार ने प्रार्थी कम्पनी को लाइम स्टोन उत्खनन हेतु पट्टा जारी किया हुआ है। कम्पनी का उद्देश्य सीमेन्ट का उत्पादन एंव विपणन मुख्य उद्देश्य है। सीमेन्ट का उत्पादन चालु है सीमेन्ट उत्पादन हेतु खनिज लाइम स्टोन कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है जिसके लिए ग्राम मोहनपुरा–जोधपुरा, कुजोता, अजीतपुरा कलां, महरमपुर राजपूत, महरमपुर नवाब आदि गांव की 548.78 हैक्टेयर भूमि बाबत खनिज लाईम स्टोन उत्खनन वास्ते राज्य सरकार ने याचि कम्पनी के पक्ष में खनन पट्टा जारी किया हुआ है, जिस पर याचि कम्पनी बहैसियत लैसी काबिज है। याचि कम्पनी के पक्ष में जारी खनन पट्टे में अन्य भूमियों के साथ साथ आराजी खसरा नम्बर 291/0.66 हैक्टेयर हाल बदोबस्त ग्राम महरमपुर राजपूत, तहसील कोटपूतली भी शामिल है, जो राज्य सरकार की भूमि है। उक्त भूमि याचि कम्पनी के खनन क्षेत्र का हिस्सा है। याचि कम्पनी को सीमेन्ट प्लान्ट की खनिज आपूर्ति के लिए खनन कार्य हेतु उक्त भूमि की आवश्यकता है। इसके लिए तहसीलदार कोटपूतली को कई बार जुबानी निवेदन किया कि यदि किसी के अधिकार प्रभावित हो रहे है तो कम्पनी मुआवजा अदा करने को तैयार है। जिसका आज तक कोई जबाब नहीं दिया यानि कि उनकी इनकारी है। इस कारण याचिका पेश करना आवश्यक हुआ

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)

का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 89 (4) स्वीकार किया जाकर तहसीलदार कोटपूतली को आदेश दिए जाते है कि प्रार्थी कम्पनी द्वारा खसरा नम्बर 291 रकबा 0.66 हैक्टेयर ग्राम महरमपुर राजपूत की एवज में कम्पनी द्वारा दी जाने वाली भूमि का राजस्व रिकार्ड में भूमि की किस्म सिवायचक गै0मु0 घुर्सिया दर्ज करने की कार्यवाही करें तथा खसरा नम्बर 291/0.66 है0 ग्राम महरमपुर राजपूत राजस्थान राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी कम्पनी के नाम दर्ज करें।

अतः प्रार्थी कम्पनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 89 (4) स्वीकार किया जाता है। मुताबिक निर्णय तहसीलदार कोटपूतली पालना करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय सरे इजलास दिनांक 31.1.2022 को सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कोटपूतली

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)